कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश,
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ

पत्रांक: एफ.एस.डी.ए./खाद्य/1122 लखनऊ दिनांक 25/03/2020

आदेश

कोविड–19 महामारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जिसकी रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में दिनांक 25.03.2020 से लाकडाउन घोषित किया गया है। पान मसाला खा कर थूकने तथा पान मसाला का पाउच छोटा होने के कारण उसका उपयोग करने पर भी कोविड–19 महामारी का सक्रमण फैलने की सम्भावना को ध्यान मे रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30(2) (क) मे आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदान की गयी शक्तियो का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत पान मसाला के विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय पर अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश मे गुटके का विनिर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय दिनांक 01.04.2013 से ही प्रतिबन्धित है।

गुटका/पान मसाले पर उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(2)(IV) का उल्लंघन होगा जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं ऐसे प्रतिष्ठान जो इस आदेश का उल्लंघन करते पाये जाएगे उनका लाइसेंस/पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के विनियम 2.1.8(4) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने एवं प्रतिष्ठान बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

25/3/20
(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त

पत्रांक: एफ.एस.डी.ए./खाद्य/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन।
2. मा0 कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0, शासन।
4. राज्य औद्योगिक आयुक्त, उ0प्र0।
5. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अभिहित अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(मिनिस्ती एस)
आयुक्त